भारत में बैंकिंग संरचना - पीछे देखते हुए आगे देखना*

दुव्वुरी सुब्बाराव

1. पांचवें वर्ष की सरपट चाल के अंत में आपने मुझे इस प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली फिक्की-आइबीए के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन का सुअवसर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में मेरे पांचवें वर्ष में गवर्नर का वार्षिक कार्यक्रम पक्के तौर पर मेरे दिमाग में जमा हुआ है। मुझे इसकी उम्मीद थी और मुझे उत्सुकतापूर्वक इस अवसर का इंतजार प्रतिवर्ष सितंबर में रहता है। इस बात का मुझे पता है कि इसके आयोजकों ने इस अवसर का समय एक माह पहले कर दिया है ताकि अगले माह कार्यालय का पद भार छोड़ने से पहले इस सम्मेलन का उद्घाटन मैं कर सकूं। इससे मैं बहुत प्रभावित हूं।

बैंकिंग संरचना

2. आज मेरी टिप्पणियों का फोकस क्या होना चाहिए? पिछले सम्मेलनों में, बैंकिंग क्षेत्र के भीतर संकीर्ण विषयों पर मैंने फोकस किया था। क्या इस वर्ष के लिए भी मैं एक दूसरे ही संकीर्ण विषय का चयन करूँ? इस विषय पर मैंने कुछ बारीकी से विचार किया। चूंकि लगभग चार सप्ताह में मैं रिज़र्व बैंक के गवर्नर पद से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तय किया कि नियंत्रण-मुक्त होकर किसी व्यापक विषय पर चर्चा करना ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा। जो विषय मैंने चुना है वह है - 'भारत के लिए उपयुक्त बैंकिंग संरचना का भविष्य'।

3. जब इस वर्ष फरवरी मे हमने निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे तो रिज़र्व बैंक ने कहा था कि भारत में बैंकिंग संरचना के बारे में वह चर्चा-पत्र लाएगा। यह पत्र अंतिम स्थिति में है और शीघ्र ही उसे जारी कर दिया जाएगा। जिन मुद्दों को आज मैं संबोधित करूंगा उनमें से कुछ ऐसे मुद्दे निश्चय ही एक-दूसरे से मिलते-जुलते होंगे जो चर्चा-पत्र में आए होंगे। किंतु इस बात का पुर्वानुमान लगाने की जरूरत नहीं कि मैं जिन मुद्दों पर चर्चा करूंगा उनके विषय एवं उनकी बारीकियां समान होंगी।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र - बड़ी तस्वीर

4. सामने उपस्थित भावी मुद्दों पर विचार करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली पर संक्षेप में विचार करना शिक्षाप्रद हो सकता है क्योंकि आर्थिक सुधारों के विगत 20 वर्षों से अधिक समय में बैंकिंग प्रणाली की आज की स्थिति और उद्विकास की समीक्षा जरूरी है। मैं इस बारे में शीघ्र ही एवं संक्षेप में चर्चा करूंगा ताकि जिन मुद्दों को मैं संबोधित करनेवाला हूं उनका संदर्भ सेट हो जाए।

सारणी - I : भारतीय वित्तीय प्रणाली - परिसंपत्ति के आकार के अनुसार हिस्सा - 2012

खंड	वित्तीय परिसंपत्तियों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत)
बैंक	63
बीमा कंपनी	19
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	8
पारस्परिक निधियां	6
भविष्य एवं पेंशन निधियां	4
योग	100

- भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंक सबसे ऊपर।

सारणी II: भारतीय बैंकिंग प्रणाली - परिसंपत्ति के आकार के अनुसार हिस्सा

संस्था	कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों का बाज़ार हिस्सा (2012) (प्रतिशत)
अनुसूचित वाणिज्य बैंक जिनमें से:	92.4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	*67.2*
निजी क्षेत्र के बैंक	*18.7*
विदेशी बैंक	*6.5*
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.7
ग्रामीण और शहरी को-आप. बैंक	3.4
स्थानीय क्षेत्र बैंक	1.5
योग	100.0

- वाणिज्य बैंक बैंकिंग प्रणाली में सबसे ऊपर।

सारणी - III : बैंकिंग क्षेत्र में हिस्सा

बैंकों के प्रकार	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	शाखाओं की संख्या का प्रतिशत हिस्सा	परिसंपत्तियों का बाज़ार हिस्सा (प्रतिशत)
सरकारी क्षेत्र	26	67,466	83.0	72.8
निजी क्षेत्र	20	13,452	16.6	20.2
विदेशी बैंक	41	323	0.4	7.0
योग	87	81,241	100.0	100.0

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या उनकी परिसंपत्तियों की तुलना में ज्यादा है।

* 13 अगस्त 2013 को मुंबई में फिक्की - आइबीए के वार्षिक सम्मेलन में डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार।

बड़ी तस्वीर के बारे में उपर्युक्त आंकड़े क्या बताते हैं?

- बैंकिंग प्रणाली के भीतर, सरकारी क्षेत्र के बैंक परिसंपत्तियों के बाजार हिस्से के 73 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहे हैं और उनकी शाखाएं 83 प्रतिशत हैं।
- बैंकिंग प्रणाली में ग्रामीण एवं शहरी को-आपरेटिव बैंकों की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी है। तथापि, अपनी भौगोलिक एवं संख्यात्मक स्थिति को देखते हुए वे ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम परिवारों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं।
- इसी प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा विस्तार तथा पूंजी उपलब्ध कराने का काम कर रही है।

सारणी IV : राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग विस्तार

वर्ष	1969	1991	2007	2012
वाणिज्य बैंकों की संख्या (क्षेग्राबैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक-सहित)	73	272	182	173
बैंक कार्यालयों की संख्या	8,262	60,570	74,563	1,01,261
जिनमें से : ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी बैंक कार्यालय	5,172	46,550	47,179	62,061
प्रति कार्यालय संख्या	64,000	14,000	15,000	13,000
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति व्यक्ति जमा राशि	₹88	₹2,368	₹23,382	₹51,106
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रति व्यक्ति कर्ज़	₹68	₹1,434	₹17,541	₹39,909

- 1969 में 14 बैंकों तथा 1980 में 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारतीय बैंकिंग प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है।
- 1969 में बैंक कार्यालयों की संख्या लगभग 8,000 से बढ़कर 2012 में 1,00,000 से ज्यादा हो गई।
- प्रति शाखा कार्यालय के लिए 1969 में जनसंख्या 64,000 से घटकर आज 13,000 रह गई है।
- प्रति व्यक्ति जमा राशि तथा प्रति व्यक्ति कर्ज में लगभग 600 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक की मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण विस्तार है।

1991 से प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र सुधार

1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधार ने बैंकिंग प्रणाली को भी अंगीकार किया। बैंकों की कार्यक्षमता, उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने में प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं :

- उक्त प्रणाली में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए जहां 1993 में निजी क्षेत्र के 10 नए बैंकों को लाइसेंस दिए गए, वहीं 2003 में 2 और ऐसे बैंकों को लाइसेंस दिए गए। अगले कुछ महीनों में कतिपय और नए बैंकों को लाइसेंस दिए जाएंगे।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत एफडीआइ + एफआइआइ की अनुमति है।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके उन्हें अपनी ईक्विटी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में जाने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे सरकारी शेयरधारिता का कम-से-कम 51 प्रतिशत बनाए रखें। प्राइवेट शेयरधारकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- सांविधिक पूर्वक्रयाधिकार (एसएलआर एवं सीआरआर) में क्रमिक कमी की गई है ताकि बैंकों का संसाधन-आधार बेहतर बने जिससे निजी क्षेत्र को उपलब्ध ऋण का विस्तार हो सके। वर्तमान में एसएलआर 23 प्रतिशत (1991 में 38.5 प्रतिशत) तथा सीआरआर 4 प्रतिशत (1991 में 15 प्रतिशत है)।
- बैंककारी विनियम में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए। पूंजी पर्याप्तता के बारे में विवेकसम्मत मानदंड, आइआरएसी (आय की पहचान, परिसंपत्ति का वर्गीकरण, प्रावधानन), ऋण सीमा मानक आदि की शुरुआत की गई।
- शाखा लाइसेंसिंग को चरणबद्ध रूप से उदार बनाया गया। अब बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में शाखाएं खोल सकते हैं।
- जमा के जटिल ढांचे तथा प्रतिस्पर्धी प्रेरणाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अविनियम, आबंटनीय कार्यक्षमता में सुधार तथा मौद्रिक नीति के संप्रेषण को सुदृढ़ बनाया गया।
- आधार दर (उधार देने की न्यूनतम नियत दर) की शुरुआत की गई (जुलाई 2010)। बचत जमा दर पर समान ब्याज दर निर्धारण वापस ले लिया गया (अक्तूबर 2011)।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में स्वायत्तता।
- कार्यक्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने, भुगतान एवं निपटान प्रणालियों में नवीनता लाने तथा वित्तीय

समावेशन को और बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

- अपने ग्राहक की पहचान तथा धन-शोधन निवारक मानकों को सुदृढ़ बनाना : वित्तीय दुरुपयोग के लिए बैंकिंग को कम संभव बनाना।
- बैंकों की जोखिम प्रबंधन संस्कृति में सुधार लाना।

समूचे विश्व में संकट के बाद विनियामक सुधार

- वित्तीय संकट ने उस जोखिम का खुलासा किया जो क्रमिक रूप से वैश्विक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (जी-एसआइएफआइ) द्वारा खड़ा किया गया था क्योंकि ये 'इतने विशाल थे कि विफल' नहीं हो सकते थे।
- संकट के बाद, अमरीका, यू.के. यूरोपीय यूनियन (अमरीका में पाल ए वोलकर ने, यू.के. में बैंकिंग संबंधी स्वतंत्र कमीशन के विषय में सर जान विकर्स ने, यूरोपियन यूनियन में एरक्की लिकनेन ने) ने अस्थिरता के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैंकिंग क्षेत्र में संरचनागत सुधारों के रूप में सिफारिश करने की पहल की।
- वोल्कर नियम तथा डोड-फ्रैंक अधिनियम वाल स्ट्रीट सुधार एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने अमरीकी वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं।
- वोल्कर नियम वित्तीय संस्थाओं के अनुभागों को उनके उपभोक्ता उधार प्रभागों से निवेश बैंकिंग, प्राइवेट ईक्विटी तथा मालिकाना कारबार (बचाव व्यवस्था निधि) को अलग करता है। बैंकों को इस बात की अनुमति नहीं है कि वे ग्राहकों के साथ किसी परामर्शी तथा ऋणदाता वाली भूमिका भी साथ-साथ निभाएं, जैसे - प्राइवेट ईक्विटी फर्मों के साथ। वोल्कर नियम का उद्देश्य बैंकों तथा उनके ग्राहकों के बीच के हित का संघर्ष कम-से-कम करना है। यह काम वह कारबार की प्रथाओं के विभिन्न प्रकारों में लगी वित्तीय संस्थाओं को अलग करके करता है।
- यू.के. में बैंकिंग संबंधी स्वतंत्र कमीशन (वाइकर्स रिपोर्ट) ने अन्य बातों के साथ-साथ यूके बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यह प्रतिबंध इस प्रकार का होगा जिससे बैंक व्यक्तियों तथा छोटे एवं मध्यम आकार के संगठनों-सहित सीमित ग्राहकों को यूके में केवल फुटकर और वाणिज्य बैंकिंग सेवाएं ही प्रदान कर सकेंगे।
- ईयू के लिए लिकनेन रिर्पोट ने यह निष्कर्ष निकाला था कि बैंकिंग समूह के भीतर जमा स्वीकार करनेवाले बैंकों से जोखिम-भरी वित्तीय गतिविधियों को अलग करने की जरूरत है ताकि बैंकिंग समूह (मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने वाले तथा अर्थव्यवस्था में गैर-वित्तीय क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाले) सुरक्षित रहें और क्रय-विक्रय गतिविधियों में कम संबंध रखें।

मुद्दा सं.1 : बैंकों का पब्लिक बनाम प्राइवेट स्वामित्व

- विचारधारा से अलग, व्यावहारिक परिदृश्य से, पब्लिक तथा प्राइवेट दोनों ही बैंकों के अपने-अपने लाभ एवं हानियां हैं। प्राइवेट स्वामित्व में प्रतिस्पर्धा, संव्यावसायिकता तथा प्रचालनगत कार्यक्षमता है। पब्लिक स्वामित्व में जन बैंकिंग, वित्तीय समावेशन आदि जैसी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखना आसान है।
- प्राइवेट बैंकों में भर्ती, वेतन तथा क्षतिपूर्ति के रूप में अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्रता है। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र बैंको के बारे में धारणा यह है कि उनमें नौकरी की सुरक्षा ज्यादा होती है और फलस्वरूप कर्मचारी का कुल उत्पाद अपेक्षाकृत कम होता है।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अधिक है और निकट भविष्य में भी यह स्थिति बनी रहेगी। तथापि, इन बैंकों को वृद्धि के लिए पर्याप्त पूंजी जरूरी है।
- महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सरकार, अपने सीमित राजकोषीय दायरे में, बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ी हुई पूंजी जरूरतों को पूरा कर सकती है।
- रिज़र्व बैंक ने मार्च 2018 तक बासेल III के पूरी तरह कार्यान्वयन के लिए घरेलू बैंकों की अतिरिक्त पूंजी जरूरतों का आकलन लगाया है। ये आकलन दो मोटे तौर पर दो पूर्वानुमानों पर आधारित हैं : (i) प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की जोखिम भारित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी; (ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत तक का आंतरिक उपचय।
- आकलन में यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय बैंकों को ₹ 4.95 ट्रिलियन तक की अतिरिक्त पूंजी (आंतरिक उपचित राशि के अलावा) की जरूरत होगी। इसमें से गैर-ईक्विटी पूंजी ₹ 3.30 ट्रिलियन की होगी जबकि ईक्विटी पूंजी ₹ 1.65 ट्रिलियन की होगी।

- आकलन में खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹ 4.15 ट्रिलियन अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। इसमें से ईक्विटी पूंजी ₹ 1.43 ट्रिलियन की होगी जबकि गैर-ईक्विटी पूंजी ₹ 2.72 ट्रिलियन की होगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ईक्विटी पूंजी में सरकार का अंशदान सरकार के शेयरधारण के वर्तमान स्तर पर ₹ 900 बिलियन का होगा। यदि सरकार का शेयरधारण 51 प्रतिशत तक आ जाता है तो उसका अंशदान घटकर अनुमानतः ₹ 660 बिलियन रह जाएगा।

सारणी V : बासेल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों की अतिरिक्त [1] सामान्य ईक्विटी की अपेक्षित राशियां

(राशि रु. बिलियन में)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	योग
बासेल III के अंतर्गत अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी जरूरत	1430	220	1650
बासेल III के अंतर्गत अतिरिक्त गैर-ईक्विटी पूंजी जरूरत	2720	580	3300
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बासेल III के अंतर्गत अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी जरूरतों में से			
योग	4150	800	4950
सरकारी हिस्सा (शेरधारण स्वरूप के वर्तमान स्तर पर)	900	-	-
सरकारी हिस्सा (शेयधारण के 51 प्रतिशत तक आने पर)	660	-	-

- अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मालिक के रूप में सरकार को अपनी शक्तियों एवं दायित्वों को कैसे लागू करना चाहिए? बोर्ड के माध्यम से या आपसी विचार-विमर्श से?
- पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ₹ 477 बिलियन दिए हैं। चालू वर्ष में ₹ 140 बिलियन की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है।
- इस समय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के बीच है। कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता में कमी करने की पर्याप्त गुंजाइश है।
- सरकार की राजकोषीय परेशानियों को देखते हुए, क्या उसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपनी शेयरधारिता घटाकर 51 प्रतिशत या उससे भी कम करके चुपचाप अपनी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, किंतु अपेक्षित प्रबंधन-नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी करना चाहिए।
- बजटीय समर्थन के अलावा सरकार को उपलब्ध संभव विकल्प हैं :
  - विभेदक मताधिकार वाले शेयर या बिना मताधिकार वाले शेयर जारी करना।
  - सरकारी शेयरधारिता में कमी करना और सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार के नियंत्रण की सुरक्षा के लिए बचाव खंड शामिल करना।
  - सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनियां बनाना।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आदर्श पूंजी संरचना के बारे में विचार-विमर्श की ऐसी जरूरत है जिससे वे अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास की मांग को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकें।

मुद्दा सं. 2 : बैंकों का समेकन

- नब्बे के दशक के शुरू में प्रारंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरुआत के बाद समेकन का महत्त्व बढ़ गया।
- नरसिंहम समिति-I (1991) के बाद इसमें तेजी आई। बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया [3 या 4 बड़े बैंक, 8 या 10 राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक तथा ग्रामीण बैंक]।
- एस.एच.खान समिति (1997), नरसिंहम समिति-II (1998), रघुराम राजन समिति (2009), वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति तथा पूर्णरूपेण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति (2006) ने इस बात पर पुनः जोर दिया।
- सभी समितियों का विचार था कि बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना की जाए जो आर्थिक सक्षमता एवं लाभप्रदता की सोच पर आधारित बाजार उन्मुख हो और विलयन एवं समामेलन की प्रक्रिया से गुजरा हो।
- 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम दौर से अब तक कुल 41 विलयन एवं समामेलन किए जा चुके हैं।

[1] आंतरिक उपचित राशि के अलावा

इनमें से 1991 में सुधारों के शुरू होने से पहले के 17 हैं और 24 उसके बाद के।

- विलयन एवं समामेलन का स्वरूप इस प्रकार रहा है :

	मामलों की संख्या
सरकारी क्षेत्र के बैंक का सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ प्राइवेट बैंक	24
प्राइवेट बैंक का प्राइवेट बैंक के साथ	14
योग	41

समेकन के समर्थन में तर्क

- समेकन के बाद उच्चतर पूंजी आधार से वर्धित उधार गतिविधि की सुविधा मिलेगी और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तीव्र होगी।
- एकल एवं समूह उधारकर्ताओं के लिए वर्धित उधार सीमा की दृष्टि से बुनियादी वित्तपोषण को बढ़ावा मिलेगा।
- देश के भीतर एवं विश्व स्तर दोनों में भारतीय कंपनियों की बैंकिंग सेवा-मांगें पूरी होंगी।
- बड़े स्तर की किफायतों एवं बड़े पैमाने के स्थान में किफायत के कारण बैंकों के लिए लागत का फायदा होता है, जैसे - केंद्रीयकृत बैंक आफिस प्रोसेसिंग, शाखा व्याप्ति तथा प्रशासनिक ढांचे के दोहराव का अभाव, बेहतर जनशक्ति की आयोजना, इष्टतम निधियों का प्रबंधन, परिचालन कार्यों का समेकन, आइटी तथा अन्य प्रकार की खरीदी में बचत।
- समेकन पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
- बड़े आकार का मतलब है - व्यापक एवं वित्तीय समावेशन में ज्यादा अनुभव। सफल माडलों की पहचान करने में व्यापक सामूहिक अनुभव प्राप्त करना संभव होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति एवं मान्यता।
- बेहतर जोखिम प्रबंधन।

समेकन के विरुद्ध तर्क

- इससे जटिलता बढ़ेगी और अत्यधिक बड़े होने से या ज्यादा जुड़ाव के कारण वे फेल नहीं होंगे या जिससे वित्तीय स्थिरता पर विपरीत प्रभाव के साथ नैतिक संकट पैदा होगा।
- विनियामक मुद्दे : महत्त्वपूर्ण बड़े बैंक एकाधिकारी आचरण अपना सकते हैं जिससे विषम प्रतिस्पर्धा एवं हानिकारक और यहां तक की बाजार में वित्तीय लाभ का दुरुपयोग करनेवाला व्यवहार भी हो सकता है। ऐसे व्यवहार से संसाधनों के कार्यक्षम आबंटन के लिए मौद्रिक संप्रेषण तथा बाजार की कार्यप्रणाली भी मंद हो सकती है।
- इससे प्रौद्योगिकी अंतरण का मुद्दा, ग्राहक में कमी, कार्यान्वयन की लागत, मानव संसाधन मुद्दे (अर्थात वरिष्ठताक्रम, वेतन, स्थानांतरण, प्रोन्नति, परिलब्धियां आदि) और मुकदमेबाजी-जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इससे छोटे बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं मिल सकतीं।

समेकन/विलयन के मानदंड

- इस समय, बैंकों के आकार में भारी विषमता है। बैंकिंग प्रणाली में दूसरा बड़ा बैंक सबसे बड़े बैंक के आकार के लगभग एक-तिहाई है। इससे एकाधिकारी स्थिति पैदा होती है। काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी समय कम-से-कम तुलनात्मक आकार के 4-5 बैंक मौजूद रहें ताकि यह पक्का हो जाए कि समेकित बैंक एकाधिकारी बाजार शक्ति पर अधिकार न कर लें, वित्तीय लाभ के व्यवहार का दुरुपयोग न करें ओर छोटे बैंकों को अलाभप्रद माडल बनाकर न छोड़ दें।
- स्वाभाविक या अस्वाभाविक समामेलन ?

मुद्दा सं.3 : बड़े और छोटे बैंक

बैंकिंग क्षेत्र में समेकन संबंधी चर्चा से संबंधित एक मुद्दा बड़े एवं छोटे बैंकों के गुणों एवं अवगुणों का है।

बड़े बैंकों के समर्थन में

- बड़े बैंक बड़े पैमाने की किफायतों एवं क्षेत्र का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं।
- वित्तीय समावेशन को बनाए रखने के लिए बड़े बैंकों के पास क्षमता, लोच एवं नवीनतम परिवर्तन का जोश होगा। स्थानीय पहल पर उनके विविध प्रकार के अनुभवों का असर पड़ेगा।
- बड़े बैंक कार्यक्षमता के रूप में महत्वपर्ण वैश्विक खिलाड़ी हो सकते हैं और इससे वे भारतीय कंपनियों को वैश्विक पहुंच तक ला सकते हैं।

- भारी पूंजी आधारवाले बड़े बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बड़ी धन राशि की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं ।

बड़े बैंकों के विरोध में

- बड़े बैंक इतने बड़े हो सकते है कि वे फेल नहीं हो सकते जिससे नैतिक संकट की समस्या आ सकती है।
- बैंक बहियों में या तो तुलनपत्र से बाहर के रास्ते गैर-कोर गतिविधियों की भरमार होगी, जैसे - निवेश बैंकिंग, प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आदि। इनसे उल्लेखनीय जोखिम के खतरे पैदा हो सकते हैं क्योंकि वे जटिल और अपारदर्शी हैं।
- प्रतिस्पर्धी संस्थाओं तथा बाजारों को दबाने के लिए बड़े बैंक अपने सूचना के एकाधिकार से प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
- बड़े बैंक प्रतिस्पर्धा के लाभ को कम कर सकते है।

छोटे बैंकों के समर्थन में

- छोटे बैंकों को छोटी कारबारी इकाइयों, छोटे किसानों और अन्य असंगठित क्षेत्र के संगठनों को ऋण देने में तुलनात्मक फायदा है जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- छोटे स्थानीय बैंक ज्यादा दक्ष एवं लचीले हैं। वे प्रभावशाली तरीके से बैंक-रहित क्षेत्रों की सेवा कर सकते हैं और स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वे वित्तीय समावेशन में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं।
- सीमित प्रचालन का क्षेत्र होने के कारण उन्हें कम आधारभूत संरचना, स्टाफ की जरूरत होगी और उनके प्रचालन खर्च कम होंगे।
- किसी छोटे बैंक के फेल होने से किसी प्रकार का प्रणालीगत असर नहीं पड़ेगा और समाधान का काम सरल होगा।

छोटे बैंकों के विरोध में तर्क

- छोटे बैंक क्षेत्र सकेंद्रण जोखिम के लिए संभवतः असुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, अमरीका में समुदाय बैंक वाणिज्यिक स्थावर संपदा को उधार देने पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं जिससे उन्हें हानि हुई।
- छोटे बैंक स्थानीय अर्थव्यवस्था से भौगोलिक सकेंद्रण जोखिम के प्रति असुरक्षित हैं और यही कारण है कि उन्हें जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत है।
- छोटे बैंक आधारभूत संरचना-सहित बड़े निवेशों को वित्त देने के लिए पर्याप्त बड़े नही हैं।
- छोटे बैंकों के लिए स्थानीय प्रभाव-जाल में फंसने की संभवना रहती है।
- काफी बड़ी संख्या में छोटे बैंक केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षी संसाधनों पर दबाव डालते हैं।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ हमारा अनुभव

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिन 6 एलएबी को लाइसेंस दिया था उनमें से 2 बंद हो गए, अन्य बातों के साथ-साथ, इसका कारण कुप्रबंधन था और अब केवल 4 बैंक काम कर रहे हैं। इन एलबीए का समग्र कार्यनिष्पादन संतुष्टि से कम है क्योंकि वे ऊंची लागतवाले हो गए हैं।
- अपने छोटे आकार के कारण एलबीए मॉडल में परंपरागत कमजोरियां हैं और संकेंद्रण जोखिम के फलस्वरूप वे अलाभकर हैं तथा उनका लागत ढांचा अप्रतिस्पर्धी है। स्थानगत कमजोरियों के कारण इनके स्टाफ का गलत चयन हो जाता है और व्यावसायिक स्टाफ/प्रबंधन को आकर्षित करने तथा उन्हें रोक रखने में बाधाएं हैं।
- यूसीबी को गलत प्रबंधन से नुकसान होता है, उनका एनपीए बढ़ता जाता है, सरकार उनके काम में दखल देती है, उनका राजनीतिकरण किया जाता है और उनके संसाधनों का आधार कमजोर है। यूसीबी में 111 विलयन एवं समामेलन किए गए हैं जिससे मार्च 2012 तक उनकी कुल संख्या 1,618 रह गई है।
- आरआरबी का अनुभव भी ऐसा ही रहा है। विगत वर्षों में उनकी संख्या 196 से घटकर 62 रह गई है।

भारत में बड़े बैंकों को बढ़ावा देने के मुद्दे

- किसी बड़े बैंक की हमारी परिभाषा क्या है? बड़े बैंक से कहीं हमारा तात्पर्य उस बैंक से तो नहीं है जिसकी परिसंपत्ति का आकार बड़ा हो या जिसका वैश्विक प्रभाव हो? कतिपय चीनी बैंक पहली परिभाषा में फिट बैठते हैं। अपनी परिसंपत्तियों के रूप में वे बड़े हैं, किंतु

वैश्विक स्तर पर उनकी उपस्थिति नहीं है। कतिपय अमरीकी या योरोपीय बैंक परिसंपत्तियों के रूप में बड़े नहीं हो सकते किंतु अनेक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति है।

- भारतीय बैंकों को किस प्रकार का बड़ा होने का प्रयास करना चाहिए? चीनी बैंकों की तरह के बड़े बैंक या वैश्विक उपस्थिति -जैसे बड़े बैंक का? याद रखिए कि किसी बड़े वैश्विक बैंक की हैसियन पाने के लिए हमारे बैंकों को अनेक वर्ष लग जाएंगे। बड़े बैंकों के वैश्विक संघ में हमारे सबसे बड़े बैंक का 60वां स्थान है। स्वाभाविक वृद्धि के रास्ते से हमारे बैंकों को वैश्विक स्तर पर आने में वर्षों लग सकते हैं। तथापि, निकट भविष्य में चुनिंदा अधिग्रहण के माध्यम से बहुत थोड़े भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

भारत में छोटे बैंकों के मुद्दे

- छोटे बैंक होने के नाते उसके नुकसान को समझे बिना ही उन्हें केवल प्रोत्साहित करना।
- छोटे बैंकों के फेल होने की प्रायः संभावना रहती है और छोटे बैंकों के फेल होने की बात स्वीकार करने के लिए हमें राजनीतिक एवं वित्तीय लोच विकसित करना होगा।
- किसी बैंक के फेल होने की स्थिति में उसके समाधान तथा निक्षेप बीमा दावे के निपटान के लिए तीव्र एवं ज्यादा प्रभावशाली ढांचे की जरूरत है।
- जब छोटे बैंक सफल होते हैं, तो स्वाभावि रूप से वे अपना विस्तार एवं वृद्धि करना चाहते हैं। क्या हमें छोटे से बड़े के लिए सरलतापूर्वक इस प्रकार के संक्रमण की अनुमति देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हम ऐसे बैंकों के औचित्य को ही विफल नहीं करते, अर्थात् कैसे वे अपनी दक्ष एवं लोचदार तथा स्थानीय मांगें पूरी कर करेंगे?

मुद्दा सं.4 : लाइसेंसिंग नीति

- रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत बैंक लाइसेंस जारी करता है। इस लाइसेंस से बैंककारी विनियमन अधिनियम में सूचीबद्ध बैंककारी तथा अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां बैंक कर सकते हैं।
- भारत वैश्विक बैंक लाइसेंस व्यवस्था का अनुसरण करता है।

घरेलू प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के लिए लाइसेंस नीति

- 1991 में नरसिंहम समिति I की सिफारिशों के अनुसरण में, 1993 में कम-से-कम ₹1 बिलियन की पूंजी जरूरतवाले नए बैंकों के बारे में दिशा निर्देश सिद्धांत जारी किए गए थे। 10 नए प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिए गए।
- बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के बारे में नरसिंहम समिति II (अप्रैल 1998) के अनुसरण में ₹ 3 बिलियन की पूंजी जरूरतवाले बैंकों के लिए 2001 में दिशा निर्देश का एक नया सेट जारी किया गया। 2 नए प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिया गया।
- फरवरी 2013 में, नए बैंकों के लाइसेंस के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ₹ 5 बिलियन की पूंजी जरूरतवाले बैंकों के प्रवर्तन के लिए कारबार/औद्योगिक घरानों को अनुमति दी गई।

विदेशी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति

- इस समय, भारत में जो विदेशी बैंक कार्यरत हैं वे अपने मूल बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने की अनुमति विश्व व्यापार संगठन के प्रति भारत की वचनबद्धता के अनुसार एक वर्ष में 12 नई शाखाएं खोलने की अनुमति है।

विकास वित्तीय संस्थाएं

- विकास वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंकिंग लाइसेंस जरूरी नहीं है।
- स्वतंत्रता के बाद, विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र द्वारा दीर्घकालीन वित्त की मांग को पूरा करना है।
- उन्हें रिज़र्व बैंक से रियायती दरों पर दीर्घकालीन प्रचालन निधि के माध्यम से कम लागतवाली निधियों का फायदा मिलता था। सरकार द्वारा विधिवत गारंटीकृत बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से भी निधियां प्राप्त होती थीं। उन्हें बांड जारी करने की भी अनुमति थी जो एसएलआर हैसियत के लिए अर्हताप्राप्त हैं। निधियों के नियोजन के लिए, उन्हें थोड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ा क्योंकि बैंकिंग प्रणाली ज्यादातर कार्यशील पूंजी वित्त पर

संकेंद्रित है और विकास वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय शर्त ही पूरी तरह से उन पर लागू होती थी।

- 1990 के दशक में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के पश्चात, कम लागत वाली निधियों की सुविधा हटा ली गई जिससे विकास वित्तीय संस्थाओं को मजबूर होकर बाजार संबंधित दरों पर संसाधन जुटाने पड़े। दूसरी ओर, कम दरों पर प्रस्ताव करने वाले बैंकों से उन्हें मीयादी वित्त शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अनर्जक परिसंपत्तियों की काफी बड़ी मात्रा के संचयन के साथ-साथ, अनेक कारणों से प्रचालन परिस्थियों में परिवर्तन ने विकास वित्तीय संस्थाओं पर वित्तीय भार डाल दिया। आज विकास वित्तीय संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र में बहुत हाशिए पर चली गई हैं।
- विकास वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की भूमिका और प्रचालनों में समन्वय संबंधी खान कार्यकारी दल की सिफारियों के अनुसरण में मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा-पत्र तैयार किया गया था।
- रिज़र्व बैंक की 1999-2000 की मौद्रिक एवं ऋण-नीति की मध्यावधि समीक्षा में एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अपेक्षित मार्ग वैश्विक बैंकिंग का है। विकास वित्तीय संस्थाओं को एक बैंक के रूप में अपने को रूपांतरित करने का विकल्प दिया गया था। 2001 में विकास वित्तीय संस्थाओं को वैश्विक बैंक के रूप में अपने को बदलने के लिए प्रचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
- क्या वैश्विक बैंकिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की अब समीक्षा किए जाने की जरूरत है?

विभेदीकृत लाइसेंस

- अक्तूबर 2007 में, रिज़र्व बैंक ने विभेदीकृत बैंक लाइसेंस के संबंध में एक चर्चा-पत्र तैयार किया जिसमें बताया गया कि वित्तीय समावेशन की एक निश्चित सीमा तक सफलता मिलने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की गुणवत्ता एवं सुदृढ़ता से संतुष्ट होने के बाद ही विभेदीकृत लाइसेंस के मामले में समीक्षा की जाएगी।
- विभेदीकृत लाइसेंस के इस मुद्दे के पुनर्मूल्यांकन का समय क्या होगा?

विभेदीकृत लाइसेंस के समर्थन में तर्क

- विशेषज्ञताप्राप्त संस्थाएं जोखिम आकलन तथा आधारभूत वित्त का ढांचा तैयार करने में विशेषज्ञ हैं।
- कोर सक्षमता को बेहतर रूप से काम में लाया जा सकता है जिससे घटी दर पर मध्यवर्ती लागत के रूप मे उत्पादकता बढ़ेगी, बेहतर कीमत की खोज की जा सकती है और सुधरी हुई आबंटन क्षमता उपलब्ध होगी।
- विभेदीकृत लाइसेंसों से हम हित के संघर्ष के मुद्दों तक पहुंच सकते हैं जो उस समय पैदा होते हैं जब कोई बैंक विविध प्रकार के कार्य निष्पादित करता है।
- बैंकिंग स्वरूप के अनुसार पर्यवेक्षी संसाधनों के ग्राहक-अनुसार आवेदन से दुर्लभ संसाधनों का इष्टतम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

विभेदीकृत लाइसेंस विरुद्ध तर्क

- भारत में वित्तीय बहिष्कार की दी गई सीमा के विषय में क्या एक ऐसे क्षेत्र के निर्माण का सुझाव दिया जा सकता है जहां कुछ बैंक वित्तीय समावेशन के दायित्व से मुक्त हैं?
- संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा बैंकों की बेहतर लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक बैंक सभी क्षेत्रों की आर्थिक सहायता की सीमा पार करने में सफल होगा।
- क्या संकीर्णतर कारबार माडलों के कारण विशेषज्ञताप्राप्त बैंक संकेंद्रण जोखिम प्रवण होंगे?

भावी महत्त्वपूर्ण मुद्दा

- विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों (फुटकर, थोक, प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय, बंधक उधारी, आधारभूत संरचना वित्तपोषण, अत्यंत लघु उधारी आदि) के लिए विभेदीकृत लाइसेंस, विभेदीकृत विनियामक अपेक्षाओं के साथ, जोखिम की मात्रा पर निर्भर करती है?
- यदि हम सिद्धांत रूप से विभेदीकृत लाइसेंस स्वीकार कर लेते हैं, तो बैंकों की एक विशिष्ट श्रेणी जो हमारे विचार में आएगी वह निवेश बैंकों की होगी। अब मैं विशुद्ध निवेश बैंकों के लाइसेंस के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

मुद्दा सं.5 : निवेश बैंकिंग

- सब-प्राइम संकट के बाद, उच्च प्रभावन क्षमता तथा गंभीर परिपक्वता- बेमेल के कारण अमरीका में निवेश बैंकिंग क्षेत्र धराशायी हो गया।
- इसके तुरंत बाद, मोर्गन स्टैनले तथा गोल्डमैन सैच - जैसे अग्रणी निवेश बैंकों ने अपने को बैंक होल्डिंग कंपनियों में रूपांतरित कर लिया।

भारत में निवेश बैंकिंग : वर्तमान विनियामक ढांचा

- भारत में निवेश बैंक की कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है और सेबी के साथ ऐसी किसी भी संस्था का पंजीकरण नहीं है।
- सामान्य प्रयोग में ''निवेश बैंकिंग'' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो संस्थाएं परिसंपत्ति प्रबंधन, पूंजी जुटाने, प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय करने, पोर्टफोलियो प्रबंधन, व्यापार बैंकिंग, हामीदारी, दलाली एवं कारबार तथा वित्तीय परामर्शदात्री सेवाएं दे रही हैं वही निवेश बैंकिंग है।
- जो विशुद्ध निवेश संस्थाएं उधारी या बैंकिंग कारबार में नहीं लगी हुई हैं वे पूंजी बाजार नियामक (सेबी) द्वारा मुख्यतः विनिमित की जाती हैं।
- अपने निवेशों के संबंध में बैंक विनियामक प्रतिबंधों के अधीन हैं।

निवेश बैंक क्यों और कैसे

- विशुद्ध निवेश बैंक कंपनी-संरचना तथा बाजार से पूंजी जुटाने के मामले में तुलनात्मक रूप से फायदे में हैं। भारतीय कंपनी विदेशों में जाती है, क्या हमें इस बात की जरूरत है कि भारत के विशुद्ध निवेश बैंक विदेशों में जाएं और वे वहां की आधुनिकतम वित्तीय जरूरतों तथा परामर्शी सेवाओं में योगदान करें?
- क्या विशुद्ध निवेश बैंक प्राथमिकप्राप्त क्षेत्र को उधार देने, वित्तीय समावेशन-जैसे विकास लक्ष्यों के लिए परेशानी पैदा करेंगे?
- क्या निवेश बैंकिंग प्रस्तावित गैर-प्रचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत एक संभावित विकल्प है?
- भारत में विशुद्ध निवेश बैंकों के फायदे-नुकसान के संबंध में और विस्तृत विचार-विमर्श जरूरी है?

मुद्दा सं.6 : वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

- वित्तीय क्षेत्र की विधियों को पुनः तैयार करने तथा वित्तीय क्षेत्र की विधियों को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सरकार ने एफएसएलआरसी का गठन किया था ताकि वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें बनाया जाए। मार्च 2013 में एफएसएलआरसी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
- इस आयोग ने नियम-आधारित से सिद्धांत-आधारित विनियम की बात कही है। उनका तर्क यह है कि सिद्धांत विधि में शामिल कर लिए जाएंगे और इस विधि को काफी समय तक के लिए परिवर्तनों को तथा प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- एफएसएलआरसी के अनुसार नए वित्तीय विनियामक संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे :
  - एकीकृत वित्तीय प्राधिकरण
  - भारतीय रिज़र्व बैंक
  - वित्तीय क्षेत्र अपील न्यायाधिकरण
  - समाधान निगम
  - वित्तीय निवारण एजेंसी
  - वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद
  - लोक ऋण विकास एजेंसी
- आज रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित विनियामक तथा पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व का काम है :
  - बैंकों तथा गैर-बैंकों का विनियामक - ये सभी जमा राशि लेनेवाली और ऋण देनेवाली संस्थाएं हैं।
  - भुगतान प्रणालियां का विनियामक
  - बाजारों का विनियामक (अर्थात् मुद्रा, विदेशी मुद्रा एवं सरकारी प्रतिभूति)
  - वित्तीय स्थिरता, समष्टि विवेक सम्मत विनियमों एवं वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण की प्रमुख जिम्मेदारी।
  - निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी (अपनी सहायक संस्था के माध्यम से)
  - बैंकों से संबंधित ग्राहक शिकायत निवारण

- एफएसएलआरसी ने सिफारिश की है कि अंत में रिज़र्व बैंक को (5-10 वर्ष के भीतर) केवल मौद्रिक नीति तथा परंपरागत बैंकिंग गतिविधि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य सभी प्रकार के विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों से अलग हो जाना चाहिए।
- अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, एफएसएलआरसी ने सिफारिश की है कि :
  - रिज़र्व बैंक बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों का विनियामक होगा।
  - बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों को छोड़कर सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए एकीकृत वित्तीय प्राधिकरण विनियामक होगा।
  - रिज़र्व बैंक एफएसडीसी तथा अन्य विनियामकों के साथ वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदारी शेयर करेगा।
- इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक लोक ऋण प्रबंधक, बैंकों से संबंधित ग्राहक शिकायत निवारण तथा निक्षेप बीमा से संबंधित उत्तरदायित्वों से मुक्त होगा।

रिज़र्व बैंक को बैंकों तथा गैर-बैंकों दोनों का विनियमन क्यों करना चाहिए ?

- 2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह था कि ऋण मध्यस्थता की गतिविधियों का संचालन गैर-बैंकों (तथाकथिक छाया बैंक) द्वारा किया जा रहा था जो प्रमुखतः विनियामक परिदृश्य से बाहर थे। इससे विनियामक अंतरपणन की गंभीर समस्याएं पैदा हो गईं क्योंकि इसी प्रकार की गतिविधियों को संपादित करनेवाली कंपनियों के समान विनियम तथा जोखिमों की सामान्यता के मुद्दों एवं ऐसी कंपनियों के लिए एकीकृत विनियम की सहक्रियाओं के लिए इसकी अपेक्षा थी।
- बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों का होना। वित्तीय स्थिरता के लिए अनिवार्यतः उसी विनियामक द्वारा एकीकृत विनियमन।
- मौद्रिक नीति के प्रभावशाली होने के लिए ऋण निर्माण (अर्थात् बैंक तथा एनबीएफसी - जैसी ऋण संस्थाएं) का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित होना चाहिए।
- संकट के बाद, कम नहीं, बल्कि ज्यादा, विश्वास की प्रवृत्ति केंद्रीय बैंक के विनियमन में देखी गई है

मुद्दा सं. 7 : गैर-प्रचालक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)

- पूरी दुनिया में बैंकिंग मॉडलों के तीन प्रकार हैं।
- यूरोप ने वैश्विक बैंकिंग माडल अपनाया है। अमरीका में, प्रधान माडल बैंक होल्डिंग कंपनी (बीएचसी) या वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एफएचसी) है। अधिकांश अन्य क्षेत्र बैंक सहायक माडल अपनाते हैं।
- 90 के दशक के शुरू तक भारत ने बैंक सहायक माडल अपनाया था और उसके बाद वैश्विक बैंकिंग मॉडल की ओर उसका ध्यान गया।
- रिज़र्व बैंक ने जून 2010 में पूर्व उप-गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल की स्थापना यह अध्ययन करने के लिए की थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न होल्डिंग कंपनी के ढांचों और भारत में होल्डिंग कंपनी ढांचे को अपनाने लिए एक रूपरेखा का संकेत मिल जाए।
- इस कार्यकारी दल ने यह अनुभव किया कि एक होल्डिंग कंपनी का ढांचा क्रमबद्ध परिदृश्य से वित्तीय समूहों की असावधानी का पता बेहतर तरीके से लगा पाएगा।
- इस कार्यकारी दल ने यह भी सिफारिश की कि वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के विनियमन के लिए एक अलग ढांचा होना चाहिए।
- प्राइवेट क्षेत्र में नए बैंक किसी गैर-प्रचालक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के अधीन स्थापित किया जाएगा।
- एनओएफएचसी का उद्देश्य यह है कि बैंक-सहित प्रवर्तक समूह की संस्थाओं की विनियमित वित्तीय सेवाओं पर होल्डिंग कंपनी प्रतिबंध लगाएगी और उक्त समूह की अन्य गतिविधियों से बैंक अलग रहेगा। इस प्रकार का प्रतिबंध वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित न होनेवाले वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा वित्तीय गतिविधियों पर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह भी है कि बैंक को उक्त समूह की अन्य विनियमित वित्तीय गतिविधियों से अलग रहना चाहिए।

- एनओएफएचसी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, किंतु उसे बैंक की तरह विनियमित किया जाएगा।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने संसद के विशेष अधिनियम के अधीन एक गैर-प्रचालक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (होल्ड कं.) बनाने की सिफारिश की है ताकि सरकार के लिए वह एक निवेश कंपनी के रूप में काम करेगी; सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता का उसमें प्रमुख हिस्सा होगा; सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ईक्विटी बढ़ाने के लिए उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से दीर्घावधि का ऋण जुटाना होगा।
- भारतीय बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली के लिए क्या कोई होल्डिंग कंपनी ढांचा उपयुक्त है जिस पर चर्चा की जरूरत है।

मुद्दा सं. 8 : विदेशी बैंकों का सहायिकीकरण

- इस समय, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक अपने मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- संकट के बाद जो सीख हमें मिली है उससे हमें विदेशी बैंकों के घरेलू समावेशन को समर्थन मिला है अर्थात् सहायिकीकरण।
- स्थानीय निगमन के मुख्य लाभ :
  - मेहमान देश के भीतर अवरुद्ध पूंजी
  - कानून को परिभाषित करना सरल होगा क्योंकि अपनी सीमा में आवेदन करना है
  - कंपनी शासन, निदेशकों के स्थानीय बोर्ड की बेहतर सुविधा
  - बैंकिंग संकट की स्थिति में कारगर नियंत्रण जिससे मेहमान देश के प्राधिकारी शाखा प्रचालन के विरुद्ध ज्यादा स्वतंत्र रूप में कार्रवाई कर सकते हैं
  - विनियामक सुविधा
- विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) द्वारा घरेलू वित्तीय प्रणाली के कम संभाव्य जोखिम की प्रधानता हो सकती है।
- भारत सरकार के परामर्श से कतिपय कराधान एवं अन्य मुद्दों का समाधान करना अपेक्षित होगा। सहायिकीकरण पर पूंजीगत अभिलाभ कर के भुगतान से विदेशी बैंक को छूट देने के लिए आय कर अधिनियम में अब संशोधन कर दिया गया है। बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 2012 ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को संशोधित कर दिया जिससे रिज़र्व बैंक की स्कीम या दिशा निर्देशों के अनुसार किसी विदेशी बैंक की शाखा का रूपांतरण पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 या इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत शुल्क नहीं देना होगा।
- कराधान मुद्दों के अलावा, पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में विदेशी बैंक के रूपांतरण में, मुख्य रूप से कानूनी स्वरूप के, कुछ अन्य मुद्दे हैं - जैसे, राइट्स एवं देयताओं का अंतरण, हस्तांतरण आदि को अंतिम स्वरूप देना - जिन्हें हल करने की जरूरत है। ये मुद्दे रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं। इन सभी मुद्दों के समाधान के बाद भारत में विदेशी बैंक के सहायिकीकरण के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

निष्कर्ष

- भारत के लिए उस बैंकिंग ढांचे के माध्यम से सोचने के संदर्भ में मैंने कतिपय संगत मुद्दे उठाए हैं जो तीव्र एवं समावेशी वृद्धि के लिए हमारी आकांक्षा को सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ाएगा।
- इस बात के लिए मैं सचेत हूं कि रिज़र्व बैंक के विचारों का आवश्यक रूप से उल्लेख किए बिना ही मैंने मुद्दे उठाए। ऐसा जानबूझकर है। इन मुद्दों पर विस्तृत एवं जानकारीपूर्ण चर्चा के फायदे की रिज़र्व बैंक को जरूरत है।
- मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों में जब रिज़र्व बैंक का चर्चा पत्र आएगा तो आप लोग इन मुद्दों में भाग लेंगे।
- इस सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।
- यहां आमंत्रित किए जाने के लिए एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद।

संलग्नक
वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रभाव के सूचक

	1990-91 (सुधार-पूर्व)	**2007-08 (सुधार-पश्चात, वैश्विक संकट से पहले)**	**वर्तमान स्थिति (2011-12)**
सकल घरेलू बचत दर (जीडीपी का प्रतिशत)	22.9	36.8	30.8
सकल घरेलू निवेश दर (जीडीपी का प्रतिशत)	26.0	38.1	35.0
बैंक ऋण / जीडीपी (प्रतिशत)	20.4	47.4	50.60
व्यापक मुद्रा / जीडीपी (प्रतिशत)	46.7	82.9	83.21
अंतर (निधियों की निधि-लागत पर प्रतिलाभ)	-	2.9	3.62
कुल परिसंपत्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय (प्रतिशत)	1.95	3.0	2.9
परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	-	1.13	1.08
बीएसई बाजार पूंजीकरण (जीडीपी का प्रतिशत)	16	103	70.2
प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना (₹ बिलियन)	43.1	636.4	3087.5